संख्या-18-3158/86-2014-1(216)/93

प्रेषक,

डॉ0 गुरदीप सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ दिनांक 3 नवम्बर, 2014

विषय- ईट भट्टों के लिये ईट बनाने की मिट्टी पर रायल्टी समाधान योजना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त ईट भट्टों के लिए ईट बनाने की मिट्टी पर रायल्टी समाधान योजना की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है:-

(1) यह समाधान योजना, ईट भट्ठा सत्र, वर्ष 2014-15 के लिये होगा।

(2) शासनादेश संख्या-2528/86-12-1(216)/1993, दिनांक 11 सितम्बर, 2013 द्वारा ईट मिट्टी रायल्टी समाधान योजना लागू करते हुये विभिन्न श्रेणियों (श्रेणी 'अ' 'ब' एवं श्रेणी 'स') के जनपदों के लिये पायों की संख्या के आधार पर रायल्टी की धनराशि निर्धारित की गयी थी। चूंकि ईट मिट्टी की रायल्टी में वर्ष 2012-13 में वृद्धि की गयी है तथा "उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के नियम-21 के प्राविधानों के अनुसार रायल्टी की दरें 03 वर्ष से पहले पुनरीक्षित नहीं की जा सकती है। अत: वर्ष 2014-15 में ईट मिट्टी की रायल्टी यथावत् रखी जाती है।

(3) ईट मिट्टी की निकासी हेतु रायल्टी समाधान योजना अपनाने के इच्छुक ईट भट्ठा स्वामी अपने ईट भट्ठे में पायों की संख्या का उल्लेख करते हुये इस आशय का शपथ-पत्र सम्बन्धित जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे कि वह शासन द्वारा ईट मिट्टी की निकासी हेतु निर्धारित ईट मिट्टी की रायल्टी समाधान योजना स्वीकार करने का इच्छुक हैं एवं शासन द्वारा निर्धारित सभी शर्तो का पालन करेंगे। ईट भट्ठा स्वामी द्वारा ईट मिट्टी निकासी हेतु आवेदन-पत्र (01 अक्टूबर, 2014 से 30 सितम्बर, 2015 तक की अवधि के लिये) जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे तथा रायल्टी की धनराशि अग्रिम रूप से जमा किया जायेगा। यदि कोई ईट भट्ठा स्वामी, समाधान योजना मे सम्मिलित नहीं होना चाहता है तो उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के अध्याय-6 के प्राविधानों के अन्तर्गत खनन अनुज्ञा प्राप्त कर तथा पर्यावरण के सुसंगत नियमों के तहत स्वच्छता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ईट मिट्टी के खनन कार्य प्रारम्भ करेंगे।

(4) दिनांक 31 दिसम्बर, 2014 तक जमा की गयी रायल्टी की धनराशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा किन्तु दिनांक 31 दिसम्बर, 2014 के उपरान्त जमा की गयी धनराशि नियमावली, 1963 के नियम- 58(2) में उल्लिखित 24 प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा।

(5) समाधान योजना हेतु आवेदन-पत्र निर्धारित प्रारूप (संलग्न) में प्रस्तुत करेंगे। आवेदन-पत्र के साथ मानचित्र उपलब्ध कराना आवश्यक नही होगा किन्तु आवेदक को अपेक्षित खसरा संख्या, क्षेत्रफल ग्राम तहसील व जनपद के नाम सहित खसरा व खतौनी की सत्य प्रतिलिपि उपलब्ध कराना आवश्यक

http://shasanadesh.up.nic.in

होगा। आवेदन-पत्र के साथ पायों की संख्या के आधार पर देय रायल्टी एवं आवेदन शुल्क रू 2000/- जमा किये जाने का चालान संलग्न करना होगा।

(6) समाधान योजना के अन्तर्गत स्थापित/प्रस्तावित ईट भट्ठा पायों की संख्या का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भट्ठे में पायों की संख्या से अधिक पायी जाती है तो समाधान योजना अस्वीकार कर दी जायेगी तथा ईट भट्ठा स्वामियों द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र में घोषित पायों की संख्या से अधिक पायी जाती है तो समाधान योजना अस्वीकार कर दी जायेगी तथा ईट भट्ठों के गड्ढों की नाप कर नियमानुसार राजस्व क्षति वसूल की जायेगी।

(7) समाधान योजना के अन्तर्गत ईट मिट्टी की रायल्टी जमा करने हेतु चालान 04 प्रतियों में उपलब्ध कराया जायेगा जिससे कि चालान की एक मूल प्रति प्रयोगकर्ता के पास रहे ताकि ईट मिट्टी के परिवहन के समय चालान की मूल प्रति दिखाई जा सके।

(8) ईट भटठा स्वामियों द्वारा पायों में ईट भट्ठा के स्थान एवं पायों में परिवर्तन की सूचना 30 दिनों के अन्दर सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय को देना आवश्यक होगा।

(9) ईट मिट्टी की रायल्टी की समाधान योजना स्वीकार करने वाले ईट भट्ठों के गडढों की पैमाइश नहीं की जायेगी परन्तु ईट भट्ठा स्वामियों द्वारा नियमावली, 1963 के नियम-3, 21 एवं 41(ड) का पालन किया जायेगा।

(10) "उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के नियम-3 (35वॉ संशोधन) के अन्तर्गत 02 मीटर की गहराई तक हस्तचालन विधि से ईट मिट्टी निकालने की क्रिया, खनन संक्रिया की परिभाषा में नहीं आती है। अतः सामाधान योजना को स्वीकार करने वाले ऐसे भट्ठे जो उक्त प्रक्रिया के अनुसार ईट मिट्टी का प्रयोग करते है, उन्हें अनुज्ञा-पत्र (प्रपत्र एम0एम0-10) प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी किन्तु बिन्दु संख्या-5 के अनुसार आवेदन-पत्र व अभिलेख प्रस्तुत करना होगा।

(11) जनपद में कोई भी ईट भट्ठा स्वामी समाधान योजना के अनतर्गत बिना अग्रिम रायल्टी जमा किये तथा समाधान योजना स्वीकार न करने की दशा मे नियमावली, 1963 के प्राविधानों के अन्तर्गत खनन अनुज्ञा-पत्र प्राप्त किये बिना ईट बनाने की मिट्टी का खनन एवं ईट का निर्माण कार्य नहीं करेगा। यदि कोई अवैधानिक खनन करता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार आवश्कय कार्यवाही की जायेगी।

(12) जनपद में कार्यरत भट्ठों की प्रमाणित सूचना प्राप्त करने हेतु जनपद के व्यापार कर विभाग तथा जिला पंचायत आदि में पंजीकृत ईट भट्ठो की सूची तथा तहसील के माध्यम से लेखपालों की पडताल के आधार पर प्राप्त सूची का मिलान कराकर, वास्तविक कार्यरत भट्ठों के पायों की संख्या सहित पहचान की जायेगी। पहचान के उपरान्त वास्वतिक रूप से कार्यरत ईट भट्ठों से ऊपर दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) कृपया इस शासनादेश की प्रति स्वीकार करते हुए कृत कार्यवाही से शासन एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अवगत कराया जाए।

<u>संलग्नक : यथोक्त।</u>

भवदीय,

(डॉ0 गुरदीप सिंह)
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-3158(1)/86-2014 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

3- प्रमुख सचिव, पर्यावरण, उत्तर प्रदेश शासन।

4- प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

5- आयुक्त, व्यापार कर उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि सभी जिलों के व्यापार कर अधिकारियों को अधिकृत ईट-भट्ठों की प्रत्येक वर्ष की सूची सम्बन्धित जिलाधिकारियों को उपलब्ध कराने के निर्देश निर्गत करने का कष्ट करे।

6- समस्त अपर जिलाधिकारी, (वित्त एवं राजस्व) उत्तर प्रदेश।

7- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

8. निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

9- गार्ड फाइल/इण्टरनेट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

(गेन्दन लाल)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in